रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

JUN 1974 Govt. of India

सं० 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 1974/ ज्येष्ठ 3, 1896
No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 1974/JYAISTHA 3, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th May 1974

SUBJECT—*Import policy for actual users for April 1974—March 1975—Grant of release orders for stainless steel*

No. 70-ITC(PN)/74.—Attention is invited to paragraph 12 of Appendix 41, of the I.T.C. Policy Red Book (Volume—I) for the period April 1974—March 1975 according to which the units in the small scale sector requiring stainless steel, have to apply for assessment of their capacity in terms of the provisions laid down in Appendix 68 of the said Red Book. Pending assessment of capacity the licensing authorities will consider applications from such units for stainless steel of permissible specifications on the basis of the value of machinery installed.

2. In order to expedite completion of the work pertaining to assessment of capacity, it has been decided to fix 31st July, 1974 as the last date by which the units concerned should make their applications for assessment of capacity to the sponsoring authority concerned. In the case of units failing to make their applications by the prescribed date, the applications for stainless steel for the second half year October—March, 1975 made on the basis of the value of machinery will be liable to be rejected.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 मई, 1974

विषय.—अप्रैल 1974–मार्च 1975 के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए आयात नीति-जंगविरोधी इस्पात के लिए रिहाई आदेश स्वीकृत करना ।

सं० 70–आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—अप्रैल 1974–मार्च 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा०—1) के परिशिष्ट 41 की कंडिका 12 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिस के अनुसार लघु पैमाने क्षेत्र के एककों को जिन्हें जंगविरोधी इस्पात की आवश्यकता है, उन्हें उक्त रेडबुक के परिशिष्ट 68 में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी क्षमता के निर्धारण के लिए आवेदन करना पड़ता है। क्षमता के विचाराधीन निर्धारण के सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे एककों द्वारा स्वीकृत विशिष्टकरण की जंगविरोधी इस्पात के लिए भेजे गए आवेदन पत्रों पर स्थापित मशीन के मूल्य के आधार पर विचार करेंगे ।

2. क्षमता के निर्धारण से संम्बन्धित कार्य को शीघ्र निपटाने के विचार से यह निश्चय किया गया है कि 31 जुलाई अन्तिम तिथि नियत की जाए जिस तक सम्बद्ध एककों को चाहिए कि वे क्षमता के निर्धारण के लिए अपने आवेदन पत्रों को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के पास भेज दें। ऐसे एककों के मामले में जो निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन पत्र भेजने में असफल रहते हैं, तो मशीन के मूल्य के आधार पर द्वितीय छमाही अर्थात् अक्तूबर—मार्च 1975 के लिए जंगविरोधी इस्पात के लिए भेजे गए आवेदन पत्र संभवतः अस्वीकृत कर दिए जायेंगे ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974